कठघरे में सरकारी तंत्र

हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, बाल अधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

जनसत्ता/एजेंसी

नई दिल्ली, 2 फरवरी। दो अलग-अलग स्कूलों में टंकियों में गिरने से दो बच्चों की मौत को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आप सरकार, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और स्कूल प्रशासन से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंतनाथ के पीठ ने कहा 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस मामले पर विचार करना जरूरी है।' इस बीच वसंतकुंज स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल के छह साल के छात्र दिव्यांश काकरोग की मौत के मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मंगलवार को पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया।

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग, एसडीएमसी, पुलिस आयुक्त और दोनों स्कूलों से उनकी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और यह बताने के लिए कहा है कि इन हादसों के मद्देनजर उनका क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। दोनों स्कूलों **बाकी पेज 8 पर**

रायन इंटरनेशनल स्कूल के सेप्टिक टैंक में डूबने से दिव्यांश की मौत हो गई थी।

बयानों में मेल नहीं

पुलिस ने स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों से कई बार पूछताछ की है। उनकी बात बच्चे के माता पिता की ओर से कही जा रही बात से मेल नहीं खा रही है।

क्या कदम उठाया?

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग, एसडीएमसी, पुलिस आयुक्त और रायन इंटरनेशनल व कापसहेड़ा के नगर निगम के स्कूल से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने के लिए कहा है कि इन हादसों के मद्देनजर उनका क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

बाल आयोग का कड़ा रुख

बाल आयोग आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव को लिखे पत्र में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दिशानिर्देशों और मापदंडों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जबकि पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में आयोग ने इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है।

पुलिस आयुक्त को समन

नई दिल्ली, 2 फरवरी (भाषा)। राजधानी में बच्चों की सुरक्षा का मामला हो या महिला की, सरकार की लापरवाही हर जगह दिख रही है। इसको लेकर बाकी पेज 8 पर